

2022/235

फर्द अहकाय

माफी मंदिर श्री सीताराम

बनाय

सत्यनारायण

प्रांतिय : सहायक कलक्टर, बस्सी

शहर, पार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : दावा 217/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.08.2022	<p>यह दावा वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वकील वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 16.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर</p> <p>69/2 पत्रावली शपथ पत्र पेश होवे पर नोटिस पर ली जाए। वकील वादी उपस्थित। वादीगण तमिल उपस्थित। बिना पेश किए गए वकील वादी के पत्रों पर नोटिस पेश कर नोटिस के अन्तर्गत पत्र पेश करने के लिए निर्देश दिए। वकील वादी को नोटिस पर सुनना पड़ता है। पत्रावली पर प्रतिक्रिया एवं वकील वादी को नोटिस पर सुनने के पश्चात वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रों पर नोटिस लीमा किया जाकर नोटिस के अन्तर्गत वादी की शपथ पत्र पेश करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। नब वादी खातेज किया जाता है पत्रावली नब से वाक होकर नब तमिल इतिहास देकर हो।</p> <p style="text-align: right;">3/6</p>	<p>विशेष विवरण</p>